कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका।

संयुक्त वन भवन, खूँटाबांध, दुमका–814101

Mob: - 9431168690, 8987790402 Email -cfdumkafdjhk@jharkhandmail.gov.in

झारखण्ड सरकार

स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन।

आज दिनांक–06.04.2018 को कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, दुमका द्वारा कुल–14.217 हे0 अतिक्रमित वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम् 1980 के तहत् अपयोजन में प्रस्तावित मौजा–बंदरजोरी, सरदारी सर्किल–दुमका नं0–12 दाग नं0–350/अंश, रकवा–3.036 हे0, दाग नं0–472/अंश, रकवा–4.237 हे0, दाग नं0–456/अंश, रकवा–1.234 हे0, दाग नं0–350/अंश, रकवा–0.870 हे0, दाग नं0–364/अंश, रकवा–2.833 हे0, दाग नं0–317/अंश, रकवा–0.101 हे0, दाग नं0–14/अंश, रकवा–1.465 हे0, दाग नं0–13, रकवा–0.441 हे0 वनभूमि का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। उक्त स्थल पर सखुआ, हाट, सागवान, नीम, सीधा, आम, कटहल, करम, युकेलिप्टस, हरसिंगार, गुलर, केंद, करंज, कदम, अशोक, अमड़ा, महुगुनी, चिलमिल, गुलमोहर, गम्हार, सिमल, सिरिस इत्यादि प्रजातियों का वृक्ष अवस्थित है। पूर्व से ही मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पुलिस उप–महानिरीक्षक का आवास, पुलिस लाईन, आउटडोर स्टेडियम एवं राजभवन निर्मित है। तत्काल वृक्षों का पातन करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त वनभूमि पूर्व से ही अतिक्रमित है एवं निर्मित भवनों का झारखण्ड सरकार के ही अन्य विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों, पुलिस बल एवं अन्य के विभागीय आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा आउटडोर स्टेडियम निर्मित है, जो जन उपयोगी है। घटनोत्तर वनभूमि अपयोजित करने हेतु विचारार्थ।

6/4/18

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, दुमका।